कार्यालय जिलाधिकारी , मथुरा

संख्या 217 /सात–बी/भू0व्य0/2023 दिनांक 10-6-2023

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या–35/740 /एक–1– 2016–20 (5)/2016 दिनांक 3–6–2016 एवं अधिसूचना संख्या 687/ एक –1–2020 –20 (5)/ 2016 दिनांक 6–7–2020 के व्दारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मै पुलकित खरे, जिलाधिकारी, मथुरा संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि जो अभी तक उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश के अनुसार सूची के स्तम्भ–5 में अंकित ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से मैं अपने अधिकार मे लेता हूँ :–

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ ग्राम सभा का नाम	खाता सख्या/ गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0मे)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन) जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा	महावन	बल्देव	मादौर	खाता संख्या 01383 खसरा संख्या 2866य	रकवा 36.265 है0 में से रकवा 2.0112 है0	श्रेणी 6–4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो–बेहड़	प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यटन अनुभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 529/2022 /3829 /41–2022–210(सा)/2022 दिनांक 28–10 –2022 के प्रस्तर–4 के अंतर्गत मा0 मंत्रि–परिषद की दिनांक 13–10–2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 184/सात–बी/भू0व्य0/2023 दिनांक 18–5–2023 में प्रदान की गयी अनुमति को निरस्त करते हुए उप जिलाधिकारी महावन की आख्या दिनांक 8–6–2023, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 59–4(ग) एवं नियम संख्या 54–55 में दी गयी व्यवस्था एवंप्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 35/740/एक–1– 2016–20(5)/2016 दिनांक 3–6–2016 एवं अधिसूचना संख्या 689/ एक –1–2020 –20(5) / 2016 दिनांक 6–7–2020 में दी गयी व्यवस्था के कम में उप जिलाधिकारी महावन की संस्तुति के आधार पर तहसील महावन के मौजा मादौर के खाता संख्या 1383 खसरा संख्या 2866य रकवा 36.265है0 में से रकवा 2.0112है0 श्रेणी 6–4 जो अन्य कारणो से अकृषित हो–बेहड़ भूमि को जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम मे परिकमा मार्ग का निर्माण, टायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परिकमा मार्ग के संरेखण में आ रही वन विभाग की 2.0112है0 भूमि के बदले में निःशुल्क दी जाती है। भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा । यदि अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का प्रयोग किया जाता है तो उक्त भूमि गांवसभा में निहित कर दी जायेगी।

12-06-23

(पुलकित खरे)
जिलाधिकारी
मथुरा

.............2पर

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

1- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ।

2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।

4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

5- तहसीलदार महावन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा को कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी,
मथुरा

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124208202306280

ग्राम क्रमांक : 124208 ग्राम का नाम / परगना : मादौर(बरदेव) तहसील : महावन जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------2--------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।							
01383	बेहड / /		630	0.1950		1420फ उप जिलाधिकारी महावन के स्वमेव स्वीकृत दि.7.12.12 को मोजा मादौर के खा.स. 1258 ख.स. 2866ग रकवा 36.265हे0 मे से क्षेत्रफल 3.457 हे0 भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित की जाती है ह.आर.के. 7.12.12	मथुरा टूण्डला पाइप लाइन उपयोग हेतु खस.949मि./ 0.0558/956ग 0.3957/871/
			646	0.3000			
			695खमि	0.3340			
			721ख	0.1540			
			722च	0.4370		1420फ उप जिलाधिकारी महावन के स्वमेव स्वीकृत दि.7.12.12 को मोजा मादौर के खा.स. 1258 ख.स. 2866ग रकवा 36.265हे0 मे से क्षेत्रफल 1.605 हे0 भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित की जाती है.आर.के. 7.12.12	0.1106 ह0ले0 26.7.02
			796च	0.4050			
			799ख	0.0600			1417फ उपजिला धिकारी महोदय के आदेश दि. 26.11.09 के अनुपालन
			801ख	0.6270		1421फ उप जिलाधिकारी महोदय महावन के स्वीकृति आदेश दिनांक 31.8.13केके अन्तगत गोर्वधन परिक्रमा मार्ग के चौडीकरण के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु खाता सं.1258 ख.सं.2866 ग रकवा 31.203 हे.मे से रकवा 3.900हे.(समतुल्य) भूमि वनविभाग को आरक्षित की जाती है ह.आर.के.31.8.13	
			817मि.	0.2550			
			819प	0.5550			में ग्राम मादौर के खसरा संख्या 1673क रकवा 2.550हे0 भूमि वन
			832ङ	4.0620			
			834	0.5140			
			844मि.	7.3290			विभाग हेतु स्वीकृत की जाती है ह. आर.के. 28.11.09
			845	0.0810			
			347	0.3150			
			850	0.7610			उपजिलाधिकारी महोदय महावन के आदेश दिनांक 10.09.2018 के क्रम में खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 2424ख/8.072, 2431मि/0.574, 2476ङ/9.415 कुल 3
			851	2.0960			
			856	0.2270			
			865	0.0856			
			890मि.	0.2870			

प्रभारी ... प्रतिलिपि ... तहसील महावन (मथुरा)

Scanned with CamScanner

833	0.2020	कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र म 550/मत-नी 2015-16 नवम्बर, दिनाक 02/2015 क अनुपालन मे मै राजकुमार जिलाधिकारी/कलेक्टर मथुरा शासना दश म 68(3)-352(6) 1979-राजस्व दिनाक 01-07-1983 का आंशिक परीक्षण करत हुऐ और उ0प्र0 जमींदारी विनाश एव भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उ0प्र0 अधिनियम-1, 1951) की धारा -117 की उप धारा -6 के द्वारा प्राम शक्तियो का प्रयोग करके तथा शासकीय सूचना संख्या -258/स0-1-16(1) /13 दिनाक 07-05-1981 तथा 09-05-1984 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो को प्रयो करते हुए निम्नलिखित भूमि को गाव मादौर के श्रेणी-6(4) मे निहित क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हूँ, तथा उ0प्र0 वन विभाग के अधीन आरक्षित वन भूमि घोषित कराने हेतु करता हूँ। खाता संख्या 1258 के खसरा संख्या 2866ग/3.457, 2866ग/1.605, 2866ग/3.900 कुल 3 किता रकवा 8.962है0 को वन भूमि के हस्तान्तरण प्रकरणों मे प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराकर उसे आरक्षित वन भूमि घोषित कराना। ह.आर.के. 03.11.2015	किता रकवा 18.061है0 नाइयत बेहड व खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 1463क/3.096, 2432/0.251, 2437घ/1.181, 2449/0.388, 2476ट/0.720, 2866मि/3.000है0 कुल 6 किता रकवा 8.636है0नोइयत कृषि योग्य बंजर दोनो खातो मे 9 किता रकवा 26.697है0 ग्राम समाज की जमीन वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 10 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर आरक्षित की जाती है कि 10 वर्ष बाद मय वृक्षारोपण वन विभाग भूमि को ग्राम सभा के लिए हस्तान्तरित करेगा। ह0आर0के0 18.09.2018 1426फ व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय महावन दि0 17.01.2019 के क्रम में मौजा मादौर के ख0स0 2424ख /8.072 व 2431मि/0.574 व 2476ड/9.415है0 कुल 3 किता रकवा 18.061है0 दर्ज कागजात बेहड व ख0स0 1463क/3.096 व 2432/0.251 व 2437घ/1.181 व 2449/0.388 व 2476ट/0.720 व 2866व/3.000 है0 कुल
935	0.3240		
937मि.	1.3100		
949मि.	1.7310		
956क	0.5830		
962खमि	3.0210		
966ख	0.1620		
970	0.4940		
976ग	0.7400		
1297मि.	0.3080		
1347	2.3430		
1348ग	0.0770		
1350ङ	0.1130		
1362ग	1.9510		
1368ख	0.1130		
1413ट	5.3410		
1668	0.5630		
1673क	8.2560		
1678	0.3440		
1686	0.9750		
1687ग	0.0280		
1697ख	0.0080		
1817घमि	1.3180		
2194मि.	0.1890		
2286ख	1.3390		
2287	0.2630		
2334झ	0.0360		
2342मि.	0.4050		
2349	0.2230		
2371	0.0280		
2372	0.1170		

प्रभारी
भूलेख कम्प्यूटरीकरण
तहसील महावन (मथुरा)

Scanned with CamScanner

2373	0.0850
2374	1.5140
2375	0.2100
2376	0.1250
2377ख	0.7560
2378	0.1620
2379	0.3200
2380	0.4250
2381	0.0160
2382	0.1620
2383	0.0610
2384	0.3680
2407	0.0400
2408	0.0400
2409	0.0360
2410	0.0650
2412	0.0240
2418ख	0.0450
2424ख	8.0720
2431मि.	0.5740
2476ङ	9.4150
2477	0.1300
2478	0.0970
2479	0.3680
2480	0.0490
2481	0.0320
2482	0.0650
2483	0.0200
2484	0.0400
2485	0.1210
2486	0.0850

1424क कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा (जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग) संख्या 631/मल-बी/भू0व्य0/2017 दिनांक 18.03.17 आदेश दिनांक 18.03.2017 के क्रम में, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी 06/51/012/एफ0सी0/407/1305 दिनांक 12.02.13 में दी गई स्वीकृति की शर्त संख्या 02 के अनुसार उक्त निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है, ख0/गाटा संख्या 2866ग के सम्मुख कॉलम में दर्शाये गये क्षेत्रफल 3.457है0 के स्थान पर 3.4575है0 पढ़ा जाया। ह.आर.के. 22-03-2017

6 किता रकबा 8.636है0 दर्ज कागजात बेहड़ कुल सम्पूर्ण रकबा 26.697है0 को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्रस्ताव पारित किया जाता है किन्तु उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा का ही रहेगा। ह0आर0के0 17.01.2019

1427फ व आदेश श्रीमान तह.महावन दि.5.8.19 के क्रम में ग्राम मादौर के खाता सं. 1350 खसरा सं.227मि/0.0400, 672मि/0.0347 रास्ता, खाता स. 1345 खसरा सं. 229मि/0.0034, 242मि/0.2403, 273मि/0.0257,288मि/0.0445, 299मि/0.0196, 680मि/0.0006, 690मि/0.0177 चकमार्ग, खाता स.1358 खसरा सं .695मि/ 0.2230, 801मि/0.3346 बेहड ग्राम समाज भूमि खारिज करके यमुना एक्सप्रेसवे औ.वि.प्रा.ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर दर्ज हो। हआर.के.5.8.19

1428फ आदेश उपजिलाधिकारी महावन दिनांक 24.09.2020 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 1673ग रकबा 8.256है0 में से रकबा 6.049है0 व गाटा संख्या 1362ग रकबा 1.951है0 कुल दो किता रकबा 8.000है0 भूमि दर्ज कागजात बेहड को मथुरा वृन्दावन मार्ग (प0जि0मा0-123) का 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप प्रभावित वृक्षों के बदले में प्रतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित किया जाता है। उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा का ही बना रहेगा। दर्ज हो। ह0आर0के0 24.09.2020

1428फ आदेश उप जिलाधिकारी महावन दिनांक 05.02.2021 के अनुपालन में मौजा मादौर के गाटा संख्या 2866य रकबा 27.303है0 मे से 7.000है0 भूमि स्वमेव प्रस्ताव द्वारा 10 वर्ष हेतु विन विभाग को वृक्ष लगाने यानी क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी जाती है। उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा का ही बना रहेगा। ह0आर0के0 05.02.2021

1429फ आदेश उप जिलाधिकारी महावन दिनांक 28.07.2021 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 दर्ज कागजात बेहड के खसरा संख्याओं में अशुद्ध व अपूर्ण प्रविष्टियों के सम्मुख शुद्ध व पूर्ण प्रविष्टियों का विवरण निम्नवत है - खसरा संख्या 2800मि/36.265 के स्थान पर 2800मि/0.214 व खसरा संख्या 28001/2.006 के स्थान पर 2801/0.805 व खसरा संख्या 2802/0.024 के स्थान पर खसरा संख्या 2802/0.874है व खसरा संख्या 2803/3.678 के स्थान पर खसरा संख्या 2803/0.979है0 व खसरा संख्या 2804/0.024 के स्थान पर 2804/0.963है0 व खसरा संख्या 2805/0.000 के स्थान पर 2805/1.016है0 व खसरा संख्या 2806/0.000 के स्थान पर 2806/0.817है0 व खसरा संख्या 2841/0.000 के स्थान पर 2841/1.688है0 व खसरा संख्या 2866/0.000 के स्थान पर 2866य/36.265है0 व खसरा संख्या 871/0.000 के स्थान पर 871/2.007है0 व खसरा संख्या 973ग/0.000 के स्थान पर 973झ/0.024है0 व खसरा संख्या 2578ग/0.000 के स्थान पर 2578ग/3.679है0 व खसरा संख्या 973/0.000 डबल अंकित है। हटाना है। दर्ज हो। ह0आर0के0 28.07.2021

1428फ व आदेश उप जिलाधिकारी महावन दि.23.10.2020 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता स. 1358 गाटा सं. 2866ष रकबा 27.303 हे. में से 8.000 हे.भूमि का

प्रभारी
अभिलेख कम्प्यूटरीकरण
तहसील महावन

Scanned with CamScanner

2487ख	0.2430	प्रस्ताव वन विभाग को वृक्ष लगाने वाली क्षति पूरक वृक्षारोपण प्रतिपूर्ति वनीकरण हेतु किया गया है। उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्रामसभा का ही बना रहेगा दर्ज हो। ह.अस.के.23.10.2020
2488	0.0160	
2489	0.0320	
2490	0.0570	
2504	0.0320	
2514	0.0450	
2517	0.0450	
2800मि.	36.2650	
2801	2.0060	
2802	0.0240	
2803	3.6780	
2804	0.0240	
2805		
2806		
2841		
2866ग		
871		
973ग		
2578ग		
973		

लेखा कम्प्यूटरीकरण प्रभारी कानूनी प्रतिलिपि सं० तहसील [illegible]

Scanned with CamScanner

1429फ आदेश [illegible] दिनांक 29.07.2021 के अनुपालन में मौजा मादौर के [illegible] 1358 दर्ज [illegible] के खसरा संख्या में अशुद्ध व [illegible] के [illegible] शुद्ध व पूर्ण [illegible] का विवरण निम्नवत है - आदेश दिनांक 28.07.2021 [illegible] खसरा संख्या 2866/0.000 के स्थान पर 2866[illegible] के स्थान पर शुद्ध खसरा संख्या 2866य/36.265 दर्ज हो। [illegible] 29.07.2021

1429फ आदेश उपजिलाधिकारी महावन दिनांक 25.07.2021 के अनुपालन मे मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 962ख/मि रकबा 3.021हे0 मे से रकबा 0.809हे0 भूमि दर्ज कागजात वेकड को श्री आशावली मन्दिर हेतु आरक्षित किया जाता है। दर्ज हो। ह0आर0के0 11.09.2021

1429फ आदेश उपजिलाधिकारी महावन दिनांक 25.07.2021 के अनुपालन में मौजा मादौर के खसरा संख्या 796च रकबा 0.405हे0 दर्ज बेहड को जल निकासी हेतु तालाब के लिये आरक्षित किया जाता है। दर्ज हो। ह0आर0के0 11.09.2021

1430फ व आदेश तहसीलदार महावन दिनांक 17.01.2023 के अनुपालन व कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र संख्या 17/सात-बी/भू0व्य0/2023 दिनांक 14.01.2023 के अनुसार व प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 35/740 /एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03.06.2016 मे दी गयी व्यवस्था के क्रम में उपजिलाधिकारी महावन की संस्तुति के आधार पर मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 2866य रकबा 11.8305हे0 मे से रकबा 0.2889हे0 भूमि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सहारे ग्राम आन्यौर व जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहता में वर्षा जल की निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण को वन विभाग को निशुल्क दिया जाता है भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन में नही किया जायेगा। यदि अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का प्रयोग किया जाता है तो उक्त भमि गांव सभा में निहित कर दी जायेगी। ह0आर0के0 17.01.2023 प्राप्त 18.01.2023

प्रभारी

Scanned with CamScanner

1430फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महावन दिनांक 19.01.2023 के अनुसार मौजा मादौर के खाता सख्या 1383 के खसरा सख्या 2866य पर पूर्व आदेश श्रीमान तहसीलदार महावन दिनांक 13.01.2023 को निरस्त कर सशोधन आदेश - मौजा मादौर के खाता सख्या 1383 के खसरा सख्या 2866य रकबा 11.8305है0 दर्ज भूमि श्रेणी 6-4 जो अन्य कारणो से अकृषित हो-बेहड मे से 0.2889है0 का पुनंग्रहण कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र सख्या 17/सात-बी/भू0व्य0/2023 दिनाक 14.01.2023 के अनुसार प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग 1 लखनऊ की अधिसूचना सख्या 35/740/ एक-1-2016 -20 (5) 2016 दिनाक 03.06.2016 मे दी गयी व्यवस्था के क्रम मे उपजिलाधिकारी महावन की संस्तुति के आधार पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सहारे ग्राम आन्यौर व जतीपुरा व राधाकुण्ड देहात में वर्षा जल की निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण मे निहित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भूमि को वन विभाग को निशुल्क दिया जाता है। भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन मे नही किया जायेगा। यदि अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है तो उक्त भूमि गाव सभा मे निहित कर दी जायेगी। ह0आर0के0 19.01.2023

1430फ आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय महावन के आदेश दि.12.6.2023 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता सं. 231 पर खसरा सं.2866क, 2882, 2921क, 2923क खाता सं. 1364 खसरा संख्या 2866ग, 2849 पर अंकित पूर्व आदेश दि.18.5.2023 को पुर्नग्रहण आदेश कार्यालय जिलाधिकारी महोदय मथुरा के पत्र सं.217/सात-बी/भू.व्य./2023 दिनांक 10.6.2023 के अनुपालन में निरस्त कर संशोधन आदेश -मौजा मादौर के खाता सं.1383 खसरा सं.2866य रकवा 36.265 हे.में से रकवा 2.0112 हे. श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणो से अकृषित हो -वेहड का पुर्नग्रहण कर प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन पर्यटन अनुभाग लखनऊ के पत्र सं.529/2022/3829/41-2022-210(स) /2022 दिनांक 28.10.2022के प्रस्तर -4 के अन्तर्गत मा.मंत्री परिषद की दि.13.10.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय अनुपालन में उप जिलाधिकारी महावन की आख्या दि.8.6.2023 उ.प्र.राजस्व संहिता -2006 तथा उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली -2016 की धारा 59-4 (ग) एवं नियम सं.-54-55 में दी गयी व्यवस्था एव प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन राजस्व अनुभाग -1 लखनऊ की अधिसूचना सं.35/740 /एक-1-2013-20 (5) /2016 दिनांक 3.6.2016 एवं अधिसूचना सं.689/एक-1-2020-(5) 2016 दिनांक 6.7.2020 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग निर्माण , टायलेट ब्लॉक तथा सौलर प्लाट की स्थापना के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परिक्रमा मार्ग के संरेखण मे आ रही वन विभाग की 2.0112हे. भूमि के बदले नि: शुल्क वन विभाग के नाम आरक्षित की जाती है। भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन में नही किया जायेगा। यदि अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जाता है तो उक्त भूमि ग्रामसभा में निहित

प्रभारी
प्रतिलिपि सं०
तहसील महावन

Scanned with CamScanner

कर दी आजमि ह.आर के.12.6.2023

9

102	117.9730	₹ 0.00	17

कुल गाटे- एक शून्य दो कुल क्षेत्रफल- एक एक सात दशमलव नौ सात तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAMJI LAL

सक्षम अधिकारी: SHAILENDRA KUMAR
तहसील: महावन जनपद: मथुरा
दिनांक एवं समय: 12-06-2023 05:34:54
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा इस्टा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

कम्प्यूटरीकरण प्रभारी खतौनी प्रतिलिपि सं० तहसील